A 6/1

लय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी– श्री अमानुल्लाह खान
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
48 / प्रा.पत्र / 2020	14.09.2020	18.08.2021

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी। –प्रार्थी

–बनाम–

श्री रतनलाल सैनी पुत्र श्री हरनाथ सैनी, विक्रेता एवं मालिक, फर्म मनीष कोल्ड ड्रिंक्स, अशोक फेक्ट्री, बड़ानयागांव, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी। निवासी–अशोक नगर, बड़ानयागांव, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी।

–अप्रार्थी

जुर्म अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(v)
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम एवं विनियम 2011

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से–श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के स्थान पर श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी

अप्रार्थी की ओर से–श्री गोपाल गुप्ता एड0

–: निर्णय :–

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थना–पत्र में निम्नाकित बिन्दु अंकित किये है:–

1. मैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 26.07.2011 एवं क्रमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 470 दिनांक 09.08.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 775 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र, जिला बून्दी आंवटित किया गया है और अधिसूचना क्रमांक एफएसएसए / नोटिफिकेशन / 2011 / 496 दिनांक 11.03.2012 के अनुसार बून्दी जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षैत्र मेरे कार्य क्षैत्र में आते है।
2. राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के निस्तारण हेतु आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.09.2019 को समय 01:45 पी.एम. पर नमूनीकरण एवं निरीक्षण

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं

फर्म मनीष कोल्ड ड्रिंक्स, अशोक फेक्ट्री, बड़ानयागांव, स्थित पर पहुंचे। वहां पर श्री रतनलाल सैनी पुत्र श्री हरनाथ सैनी, विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से उपस्थित थे। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया।

3. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि खाद्य कारोबारकर्ता की फर्म पर आम जनता को विक्रय हेतु उपभोग अवधि पार के चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स एवं मैगो बीवरेज के पैकिंग नगर विक्रय हेतु भण्डारित एवं प्रदर्शित किये हुये थे। उपभोग अवधि पार खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु प्रदर्शित एवं भण्डारित कर खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 27(3)(ए) के अन्तर्गत अपराध कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (V) का उल्लंघन किया हैं जो उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माने योग्य अपराध हैं। मौके पर ही अवधि पार चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स एवं मैगो बीवरेज के पैकिंग नगों को जन हित में खाद्य कारोबारकर्ता के समक्ष उसकी सहमति से नष्ट कराया गया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही रूबरू खाद्य कारोबारकर्ता, मौतबिरान को अवगत कराते हुये मौके पर की गई तथा मौका फर्द तैयार की, जिसे पढ़कर, सुनाकर दस्तखत करायें।

4. मेरे द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही कर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को पत्रावली अभियोजन मंजूरी के लिये अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा पत्र कमांक एफएसएसए/2020/154 दिनांक 14.09.2020 के द्वारा खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपभोग अवधि पार खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु प्रदर्शित एवं भण्डारित कर खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 27(3)(ए) के अन्तर्गत अपराध कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (V) का उल्लंघन कर उक्त अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित किया जावें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस करना चाहा तथा प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण समाअत की गई।

बवक्त बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री गिरिराज शर्मा के स्थान पर श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता न्यायालय में उपस्थित जिन्होंने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी उपभोग अवधि पार खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु प्रदर्शित एवं भण्डारित कर खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 27(3)(ए) के अन्तर्गत अपराध कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (V) का उल्लंघन किया गया हैं, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माना आरोपित किया जावें।

अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दोराने बहस में व्यक्त किया कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स एवं मैगो बीवरेज अन्य प्रतिष्ठानों से पैकिंग माल ही खरीदा–बेचा जाता हैं। अप्रार्थी एक छोटा व्यापारी हैं। भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं

…सिसे जान माल की हानि हो। सहानुभूति का रूख अपनाते हुए लोक अदालत की …वना से प्रकरण का निर्णय पारित करने की कृपा करे।

हमने बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण पर मनन किया जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेजात निर्धारित प्रपत्र में व समय अवधि में नियमानुसार है। अप्रार्थी ने अपने प्रतिष्ठान पर उपभोग अवधि पार खाद्य पदार्थ चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स एवं मैगो बीवरेज विक्रय हेतु प्रदर्शित एवं भण्डारित कर खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 27(3)(ए) के अन्तर्गत अपराध कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (V) का उल्लंघन किया गया हैं जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है। अप्रार्थी का कृत्य दोषसिद्व होने से खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी को 5,000/– (अक्षरे–पांच हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी